

उपस्थिति से पत्थर गढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सौके पर प्राधीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति से पत्थर गढी किये जाने हेतु तहसील दार बोगू को 10000 रु कमिशनर शुल्क पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है।

आदेश की पालना से पत्र जारी कर तहसील दार बोगू से पत्थर गढी की पालना रियोर्ट दि 8-2-22 से पूर्व तलब कि जावे। पत्रावली वास्ते पालना से दि 8-2-22 को पेश हो।

*अर्थ*

8-2-22

पत्रावली पेश हुई 5.0.0 सा. अम्ब लार्प मे मस्त है।

वलील वापी उप

अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-4-22 को पेश हो।

12-4-22

पत्रावली आज पेश हुई पर द्वारा खार

खानम किया गया है। अब पत्रावली

पूर्वानुसार दिनांक 13-6-22 को

पेश की जावे

26-5-22

पत्रावली आज पेश हुई प्रकरण से तहसील दार बोगू को पत्र क्र.स/AR/2022/1168 दि-19-5-22 को पत्थर गढी रियोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त रियोर्ट के अनुसार मौजा तुकराई म-ह. तुकराई की आ.स. 590, 591 कुल कित।-2 कुल रकबा/0.30 हे. भूमि की आदेशानुसार पत्थर गढी कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। पत्रावली से पालना पूर्ण होने पत्रावली फंसल श्रुमार होकर नम्बर से कम हो।